कार्यालय कलेक्टर,(भू-अभिलेख शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

//अनापत्ति प्रमाण पत्र//

क्रमांक/ 182 /कले/भू.अभि./अ.भू.अ./2021-22/ कांकेर, दिनांक 25/02/2022

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा कांकेर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के तहसील कांकेर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि को वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित होने वाले राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदान करने बाबत् दिनांक 23.02.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदित राजस्व वनभूमि छोटे झाड़ एवं बड़े झाड़ का जंगल का विवरण निम्नानुसार है :-

राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़ एवं बड़े झाड़ का जंगल) का विवरण

क्रं.	जिला का नाम	संस्था का नाम	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नं.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (हे. मे.)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर बस्तर कांकेर	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर	कांकेर	अंजनी	472	4.66 Hec.	छोटे झाड़ के जंगल मद
					409	2.00 Hec.	
कुल व्यवपर्तित होने वाली राजस्व वनभूमि :-						6.66 Hec.	

चूँकि प्रस्तावित भूमि राजस्व वन के मद पर दर्ज है, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर, वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में संबंधित विभाग प्रमुख से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा । यदि संबंधित संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में उल्लेखित ग्राम में स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती हो तो निम्न शर्तों पर इस विभाग को प्रस्तावित ग्राम के आवेदित खसरा नंबर की भूमि पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यवपर्तित होने वाली राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

नियम एवं शर्तें :-

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त उल्लेखित ग्राम अंजनी की राजस्व भूमि पर संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु की जा रही है। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित प्रयोजन के बदले अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग संबंधित विभाग द्वारा भविष्य में किया जाता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. संबंधित संस्था के भवन निर्माण से यदि शासन की परिसम्पति की क्षति होती है, तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी।

कलेक्टर,
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

पृ.क्रमांक/ 183 /कले/भू.अभि./अ.भू.अ./2021-22/ कांकेर, दिनांक 25/02/2022

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1. सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग.शासन, इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक 02, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल कांकेर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा) अनुभाग कांकेर की ओर सूचनार्थ ।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कांकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर,
जिला उत्तर बस्तर कांकेर